संख्या-1437/2026/1774/22-2-2025-17(340)/2020

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मानवेन्द्र पुत्र श्री बलवन्त, निवासी जनपद-कुशीनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मानवेन्द्र पुत्र श्री बलवन्त (दिनांक 19.03.2025 तक आयु 63 वर्ष 06 माह 10 दिन है) जो मड़ार विन्दवलिया, थाना-नेबुआ नौरंगिया, जनपद-कुशीनगर का निवासी है। साझे का शीशम का बगीचा भाईयों से छिपाकर बेचा था। दोनों भाईयों द्वारा हिस्सा मांगे जाने पर हुए विवाद के कारण दिनांक 02.04.1978 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुदाल व देशी पिस्तौल से गोली मारकर धीर राव एवं झीन राव की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-43/1979 में भा0द0वि0 की धारा-324/149, 302/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवरिया के आदेश दिनांक 29.01.1998 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.04.2019 द्वारा यथावत रखा गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा बन्दी का कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का अपराध है जो समाज पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुनः अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बंदी द्वारा दिनांक 19.03.2025 तक अपरिहार **06** वर्ष, **02** माह, **23** दिन तथा **07** वर्ष, **01** माह, **12** दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को दिनांक **19.03.2025** तक बन्दी की **63** वर्ष, **06** माह, **10** दिन की आयु, मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक **19.03.2025** तक अपरिहार **06** वर्ष, **02** माह, **23** दिन तथा सपरिहार **07** वर्ष, **01** माह, **12** दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मानवेन्द्र (बन्दी संख्या-204/2022) पुत्र श्री बलवन्त, निवासी जनपद- कुशीनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1437/2026/1774(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।
2- पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।